(नियम 26)

जज अदालत ..... मुकाम .....

मोहन वगै. बनाम सोहन

करम मुकदमा ..... नं. 2/15. सन् .....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/1/17.	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना 212 सा0 पर एक तरफा बहस हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। पत्रावली बहस हेतु दि0 16/1/17 को पेश हो।	
16/1/17.	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना 212 सा0 पर एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली में प्राप्त साक्ष्य जिरहबंदी तथा अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र वर्णित अनुसार मौजा बिछोर की आ0 सं0 984, 985, 986 की 3 रकबा 0-66 हे0 भूमि के सहखातेदार हैं। प्रबन्ध में विपक्षी का जवाब भी प्राप्त नहीं है। विपक्षी सोहन भी सहखातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में विभाजन का दावा प्राप्त किया है। अतः प्रार्थना 212 सा0 प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाता है विपक्षीगण को मूल पावे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम निषेधाज्ञा दे पावेड़ किया जाता है कि वे मौजा बिछोर प0ह0 बिछोर की आ0 सं0 984, 985, 986 की 3 रकबा 0-66 हे0 भूमि के विक्रय की व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फिलहाल की जाकर नस्ती हो। मूल वाद के साथ रहे।	